

संख्या:-टी०बी०डी०(ए) 4-4 / 2007

दिनांक शिमला, २१ सितम्बर, 2017

अधिसूचना

इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 1 अप्रैल 2017 के निरन्तरीकरण में राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश जन जातीय सलाहकार परिषद् नियमावली, 1976 के नियम 3(1) तथा नियम 9 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री राम स्वरूप शर्मा, संसद सदस्य, (लोक सभा) को जन जातीय सलाहकार परिषद् का सदस्य मनोनीत करने के सहर्ष आदेश करते हैं जो कि हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश) आदेश, 1975 के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए गए हैं।

श्री राम स्वरूप शर्मा, संसद सदस्य, (लोक सभा) इस परिषद् के तब तक सदस्य रहेंगे जब तक कि वे लोक सभा के सदस्य रहते हैं तथा बैठक में भाग लेने हेतु इन्हें दैनिक भत्ता एवं यात्रा भत्ता समय-समय पर लोक सभा सचिवालय द्वारा जारी अनुदेशों के अन्तर्गत देय होगा।

आदेश द्वारा

वी०सी० फारका
मुख्य सचिव (जन जातीय विकास)

पृष्ठांकन संख्या: टी०बी०डी० (ए) 4-4 / 2007 दिनांक शिमला—२१ सितम्बर 2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है:-

- 1 श्री राम स्वरूप शर्मा, माननीय सांसद, लोक सभा, 92 नार्थ एवन्यू, नई दिल्ली।
- 2 प्रधान सचिव राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, शिमला—171002.
- 3 प्रधान सलाहकार मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश शिमला—171002.
- 4 निजी सचिव, समस्त मन्त्री/राज्यमन्त्री हिमाचल प्रदेश शिमला—171002.
- 5 निजी सचिव, अध्यक्ष, हिंप्र० विधान सभा शिमला—171004.
- 6 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला—2.

- 7 समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश शिमला-2.
8 समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
9 संयुक्त सचिव (टी०डी०) जन जातीय कार्य मन्त्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001।
10 निदेशक, लोक सभा सचिवालय, संसद भवन अनैक्सी नई दिल्ली-110001.
11 निदेशक, अनुसूचित जाति जन जाति राष्ट्रीय आयोग छठी मंजिल केन्द्रीय सदन, सैक्टर 9-ए चण्डीगढ़-160017।
12 अतिरिक्त आयुक्त (जन जातीय विकास) हिमाचल प्रदेश को 5 अतिरिक्त प्रतियों सहित आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित है।
13 निदेशक, लोक सम्पर्क, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2 को आवश्यक कार्रवाई हेतु।
14 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश
15 आवासीय आयुक्त पांगी स्थित किलाड़-176323.
16 अतिरिक्त उपायुक्त काजा जिला लाहौल स्पिति हिमाचल प्रदेश.
17 अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, भरमौर जिला चम्बा हि० प्र०.
18 परियोजना अधिकारी आई टी०डी०पी० किन्नौर, केलांग, काजा, पांगी तथा भरमौर हिमाचल प्रदेश को पांच-पांच अतिरिक्त प्रतियों सहित।
19 नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग हि०प्र० शिमला-5 को उक्त अधिसूचना को हि०प्र० राजपत्र (आसाधारण) में शीघ्र प्रकाशित करने हेतु। उनसे अनुरोध है कि राजपत्र की एक प्रति इस विभाग को रिकार्ड हेतु भेजें।
20 तकनीकी निदेशक एवं राज्य सूचना अधिकारी राष्ट्रीय सूचना केन्द्र हिमाचल प्रदेश सचिवालय को अग्रेषित है कि इस अधिसूचना को जन जातीय विकास विभाग की बैवसाईट पर अपलोड करने की कृपा करें।

(प्रमोद सिंह चौहान)
अवर सचिव (जन जातीय विकास)
हिमाचल प्रदेश सरकार।
फोन 01772622188